

संख्या डी0 एल0 ए0 नालन्दा

पटना, दिनांक.....

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव-पनहर (चादर-1 एवं 2) परगना-तेल्हाडा, थाना नं0-117 थाना-इसलामपुर, जिला-नालन्दा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् इसलामपुर-नटसर रेल लाईन परियोजना के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव-पनहर (चादर-1 एवं 2) थाना नं0-117 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश 4.755 एकड़ होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:- खेसरा सं0- 01, 12, 13, 14, 16, 36, 38, 43, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 169, 171, 172, 179, 197, 198, 199, 200, 203, 205, 206, 207, 208, 213, 223, 224, 231, 232, 234, 239, 240, 247, 248, 315, 319, 320, 321, 2015, 2019, 2686 एवं 2748 सभी अंश ।

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर:- मौजा-परसुराय थाना नं0 112

पूरब :- खेसरा सं0-15, 37, 94, 104, 105, 119, 117, 169, 112, 172, 200, 198, 199, 209, 210, 213, 224, 223, 232, 2015 एवं 2728 सभी अंश।

दक्षिण :- खेसरा सं0 2019, 2686, एवं 2728 सभी अंश।

पश्चिम :- खेसरा सं0-12, 39, 38, 92, 95, 86, 85, 84, 105, 108, 110, 111, 176, 121, 120, 206, 208, 315, 211, 225, 228, 231, 234, 239, 249 एवं 2015 सभी अंश।

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 सन् 1961, संशोधित अधिनियम-1984) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय, नालन्दा, बिहारशरीफ में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे..... के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप धारा- (2) में यथा उपबन्धित या बिनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा-17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना को शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 ए के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी,
नालन्दा

अपर समाहर्ता,
नालन्दा

समाहर्ता,
नालन्दा

सरकार के ~~सचिव~~ सचिव

संख्यांक-2598/रा0 डी0 एल0ए0- नालन्दा, दिनांक 13-11-13/

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा, बिहारशरीफ एवं इस विभाग को प्रेषित करने हेतु।

2. प्रतिलिपि :- उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, नालन्दा, बिहारशरीफ को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा को दस प्रतियों में एवं इस विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने के लिये।

3. प्रतिलिपि :- समाहर्ता, नालन्दा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव